

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2013—श्रावण 4, शक 1935

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2013

क्र. एफ 1 (ए) 60-2012-ब-2-दो-संशोधन.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जून, 2013 द्वारा श्री दीपक वर्मा, भा. पु. से., (2004) पुलिस अधीक्षक, हरदा को अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं सपरिवार श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एवं वैष्णव देवी की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है.

2. उक्त आदेश की कंडिका 2 में त्रुटिवश अंकित श्री अनुराग, भा. पु. से. के स्थान पर श्री दीपक वर्मा, भा. पु. से. एवं 17 दिवस के स्थान पर 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होना पढ़ा जाए.

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्र. एफ 1 (ए) 398-88-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जून, 2013 द्वारा डॉ. विजय कुमार, भा. पु. से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन होमगार्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 24 से 29 जून, 2013 तक, कुल छह दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 23 एवं 30 जून, 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.

2. डॉ. विजय कुमार, भा. पु. से. द्वारा 27, 28 एवं 29 जून, 2013 का उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अवकाश उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है.

3. पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जून, 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**इन्द्रनील शंकर दाणी**, अपर मुख्य सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्र. 5510-इक्कीस-अ(स्था).—राज्य शासन, कु. क्षमा तिवारी, प्रारूपकार-सह-अवर सचिव को मुख्य प्रारूपकार-सह-उपसचिव के पद पर पदोन्नति हेतु प्रावधानित पांच वर्ष की सेवा अवधि में शेष रही अवधि की छूट प्रदान करते हुये नीचे अंकित शर्त के अधीन उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में मुख्य प्रारूपकार-सह-उपसचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600—39100 ग्रेड-पे रु. 7600/- में दिनांक 1 जुलाई, 2013 से पदोन्नत करता है।

क्र. 5511—इक्कीस-अ(स्था).—राज्य शासन, श्रीमती रजनी पंचौली, स्टाफ ऑफिसर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में अवर सचिव स्टेनो संवर्ग के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600—39100 ग्रेड-पे रु. 6600/- में दिनांक 1 जुलाई, 2013 से पदस्थापना करता है।

क्र. 5512—इक्कीस-अ(स्था).—राज्य शासन, श्री सी. एल. मुकाती (अ.जा.), सांख्यिकी अधिकारी को अवर सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु प्रावधानित पांच वर्ष की सेवा अवधि में शेष रही अवधि की छूट प्रदान करते हुये अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में अवर सचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600—39100 ग्रेड-पे रु. 6600/- में दिनांक 1 जुलाई, 2013 से पदोन्नत करता है।

क्र. 5513—इक्कीस-अ(स्था).—राज्य शासन, श्री आर. पी. गुप्ता, सहायक संचालक अनुवाद को अवर सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु प्रावधानित पांच वर्ष की सेवा अवधि में शेष रही अवधि की छूट प्रदान करते हुये नीचे अंकित शर्त के अधीन उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में अवर सचिव अनुवाद के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600—39100 ग्रेड-पे रु. 6600/- में दिनांक 1 जुलाई, 2013 से पदोन्नत करता है।

क्र. 5514—इक्कीस-अ(स्था).—राज्य शासन, श्री अनिल कुमार शर्मा, निजी सचिव को अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में स्टाफ ऑफिसर के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600—39100 ग्रेड-पे रु. 6600/- में दिनांक 1 जुलाई, 2013 से पदोन्नत करता है।

**शर्त.**—कु. क्षमा तिवारी और श्री आर. पी. गुप्ता को जब भी भारत सरकार विधि मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित विधायी

प्रारूपण प्रशिक्षण आयोजित हो तब वे अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा पदोन्नति आदेश निरस्त कर मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

“प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है”

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2009-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री ओमपाल सिंह आत्मज श्री धर्मवीर सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अम्बाह, जिला मुर्ना का त्यागपत्र दिनांक 29 जुलाई, 2013 के अपराह्न से स्वीकृत करता है।

फा. क्र. 3(ए)1-2013-इक्कीस-ब(एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) को मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवाशर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5(1)(ए) के अंतर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070, के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:—

1. श्री सुधीर सिंह चौहान, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बैढ़न, जिला सिंगरौली.
2. श्री धीरेन्द्र सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रीवा.
3. सुश्री नीता गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, देवास.
4. श्री संजय कुमार पाण्डे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोपाल.
5. श्री महेश कुमार सैनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, इन्दौर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

## संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्र. एफ 11-14-2012-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्र. एफ 11-01-2013-तीस, दिनांक 24 जनवरी, 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र” में किया गया था।

2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल ने सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है। आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है।

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

### अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है।	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	जबलपुर	जबलपुर	आर.टी.ओ. आफिस के सामने.	रायल होटल पुराना बंगला मय आहाता.	सिविल स्टेशन ब्लॉक नं. 32 प्लॉट नं. 11-12/1.	ऐरिया 14144.05 वर्गफुट.	एम.पी. इलेक्ट्रिक बोर्ड जबलपुर रामपुर लीज पर.	नहीं

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों।

क्र. एफ 11-15-2012-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्र. एफ 11-2012-तीस-1714, दिनांक 25 मार्च, 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र” में किया गया था।

2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल ने सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है। आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है।

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

### अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है.	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	भिण्ड	रौन	इंदुर्खी	बारादरी	खसरा नं. 31	रकवा 0.031 हे.	मध्यप्रदेश शासन.	है.

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

विनोद कटेला, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्र. एफ 11-08-2013-तीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, संस्कृति विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश तीर्थ-स्थान एवं मेला प्राधिकरण के प्रशासनिक प्रबन्ध एवं नियंत्रण के लिए सदस्य मण्डल के गठन हेतु जारी आदेश क्रमांक एफ 11-06-2009-तीस, दिनांक 2 मार्च, 2012 के परिपेक्ष्य में नीचे उल्लेखित सदस्यों का मनोनयन करता है:—

- संसद सदस्य— (1) मान. श्री भूपेन्द्र सिंह, सांसद, सागर  
(2) माननीया श्रीमती सुमित्रा महाजन, सांसद, इन्दौर.
- विधान सभा सदस्य— (1) मान. श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, विधायक, सागर  
(2) मान. श्री ज्ञान सिंह, विधायक बांधवगढ़ (उमरिया).  
(3) मान. श्री मोहन शर्मा, विधायक, नरसिंहगढ़ (राजगढ़)
- कला, संस्कृति क्षेत्र— (1) डॉ. भरत पाठक, चित्रकूट  
के प्रतिनिधि. (2) डॉ. भगवती लाल राजपुरोहित, उज्जैन  
(3) श्री कामतानाथ, ग्वालियर  
(4) श्री गोविन्द्र शर्मा, भोपाल  
(5) श्री लक्ष्मीनारायण भावसार, भोपाल
- उद्योग-व्यापार क्षेत्र— (1) श्री राधाशरण गोस्वामी, भोपाल  
के प्रतिनिधि. (2) श्री मनीष सारा  
(3) श्री घनश्याम गर्ग  
(4) श्री संतोष चौबे, भोपाल  
(5) श्री एल. एन. झुनझनवाला.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
छोटे सिंह, उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 24 जून 2013

क्र. मंडी/समिति गठन/2013/98.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 11 तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम, 2010 के नियम 5 के अनुसरण में, मैं, राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर, बैतूल, मध्यप्रदेश मंडी अधिनियम की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम क्रमांक (2) में उल्लेखित मंडी के लिए कालम क्रमांक (4) में उल्लेखित निम्नांकित नामांकित प्रतिनिधि सदस्यों को एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूँ:—

क्र.	कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम	संस्था का नाम	नामांकित प्रतिनिधि का नाम एवं पता	प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	36-भैंसदेही	विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि.	श्री धनराज व. रतनलाल, ग्राम चिचोलीढाना	मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(घ) अन्तर्गत.
2		कृषि विभाग का प्रतिनिधि.	श्री पी.एन. आखरे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड, भैंसदेही.	मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(च) अन्तर्गत.
3		जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रतिनिधि.	श्री वसंत माकोडे, अध्यक्ष, जिला सह. केन्द्रीय बैंक मर्या., बैतूल.	मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(ज) अन्तर्गत.
4		जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि.	श्री सदन आर्य, अध्यक्ष जिला सह. कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., बैतूल.	मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(झ) अन्तर्गत.
5		पंचायत का प्रतिनिधि	श्री मारोती बारस्कर, जनपद सदस्य, भैंसदेही	मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(ञ) अन्तर्गत.

राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 12/17 जुलाई 2013

क्र. स्था. निर्वा-2013-184.—मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 22 के खण्ड (क) के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक एक, सन् 1994) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, राजीव दुबे, सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर, जिला रतलाम, एतद्द्वारा जिला पंचायत रतलाम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन प्रकाशित करता हूँ:—

अनुक्रमांक (1)	नाम एवं पिता/पति का नाम और पता (2)	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कार्यालय का नाम (3)
1.	श्रीमती निर्मला शंकरलाल पाटीदार, पता ग्राम व पोस्ट घराड, तहसील रतलाम.	अध्यक्ष, जिला पंचायत, रतलाम.
2.	एडवोकेट वीरेन्द्रसिंह सोलंकी पिता अजीतसिंह, ग्राम बापचा, ग्राम पंचायत सुरजना, तहसील आलोट.	उपाध्यक्ष जिला पंचायत, रतलाम.

स्थान : रतलाम

दिनांक 09 जुलाई 2013

राजीव दुबे, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 17 जुलाई 2013

अधिसूचना क्रमांक-1128-बीआरटीएस-2013.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 में विहित प्रावधान के अनुपालन में, मैं, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, इन्दौर एतद्वारा बीआरटीएस राजीव गांधी चौराहा से निरंजनपुर व्हाया भंवरकुंआ चौराहा, होल्कर कॉलेज ब्रिज, नवलखा चौराहा, इन्दिरा गांधी प्रतिमा, जी.पी.ओ. व्हाईट चर्च, गीता भवन चौराहा, पलासिया, एल.आई.जी. चौराहा, विजय नगर, सत्य साईं चौराहा, देवासनाका मार्ग पर सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से केवल अटल इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट कम्पनी की वाहनों के संचालन हेतु घोषित करता हूँ.

अटल इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट कम्पनी की वाहनों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की वाहनों का उक्त मार्ग पर संचालन प्रतिबंधित रहेगा. केवल उक्त बीआरटीएस मार्ग पर संचालित वाहनों में यांत्रिक खराबी होने की स्थिति में उन्हें मार्ग से बाहर करने हेतु रिकवरी वाहन (क्रेन) एवं मार्ग के रख-रखाव हेतु काम आने वाली वाहनों को संचालन की छूट प्राप्त होगी.

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 18 जुलाई 2013

क्र.-स्थापना-2013-4787.—मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये श्री अवधेश शर्मा, अपर कलेक्टर, उज्जैन को नगर पालिक निगम, उज्जैन सीमा क्षेत्र के लिये सक्षम प्राधिकारी, लोक परिसर (बेदखली) नगर उज्जैन नियुक्त किया जाता है.

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर.

## कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 19 जुलाई, 2013

क्र. 770-रा.स.-यू.ए.-6-2013.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 513-रास-यूए-6-2013, दिनांक 9 मई, 2013 द्वारा डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू के रेग्यूलेशन की कण्डिका 35(11) का प्रयोग करते हुए, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार प्रो. डी.पी. सिंह, कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को सौंपा गया था.

प्रो. डी.पी. सिंह के दिनांक 29 जुलाई 2013 से 28 अगस्त 2013 तक विदेश प्रवास पर प्रस्थित होने के कारण डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू के रेग्यूलेशन की कंडिका 35(11) के तहत एतद्वारा प्रो. सी.डी. नायक को आगामी आदेश तक संस्थान के महानिदेशक के पद का कार्य संपादित करने के लिये नामनिर्देशित किया जाता है.

चेयरमेन, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू के आदेशानुसार,

विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

## भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 722-452-2013-चौवन-1,

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2013

### सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

#### संकल्प

नई दिल्ली, 16 जून, 2011

फा. सं. 12015-15-2008-बी.सी.सी.—भारत सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां आरक्षित की हैं।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2008 के का. ज्ञा.सं.1-1/2005-यू.1.ए/847 द्वारा केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में 27% सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित की हैं।

3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) के उपबंधों के अनुसार, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों में शामिल करने के अनुरोधों तथा अधिक शामिल करने और कम शामिल करने की शिकायतों को प्राप्त करने, जांचने और उनकी सिफारिश करने के लिए की गई थी।

4. 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग की समान केन्द्रीय सूची कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

क्रम सं.	संकल्प सं.	अधिसूचना/संकल्प की तारीख	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सं. 12011/68/93-बीसीसी(सी)	10-9-93	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश।
2.	सं. 12011/9/1994-बीसीसी	19-10-94	उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव और पुडुचेरी।
3.	सं. 12011/7/95-बीसीसी	24-5-95	जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
4.	सं. 12011/99/94-बीसीसी	11-12-97	चंडीगढ़

5. तत्पश्चात्, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप जातियों/पर्यायों सहित) के अंतर्वेशनों/संशोधनों हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की सिफारिशों के आधार पर सूची को

सयम-समय पर संशोधित किया गया और इन संशोधनों को तत्कालीन कल्याण मंत्रालय के संकल्पों द्वारा वर्ष 1997 तक और वर्ष 1998 के पश्चात् सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्पों द्वारा अधिसूचित किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है:—

क्रम सं. (1)	संकल्प सं. (2)	अधिसूचना/संकल्प की तारीख (3)	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (4)
1.	सं. 12011/02/96-बीसीसी	27-1-96	असम
2.	सं. 12011/96/94-बीसीसी	9-3-96	आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
3.	सं. 12011/44/96-बीसीसी	6-12-96	बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
4.	सं. 12011/13/97-बीसीसी	3-12-97	उत्तर प्रदेश
5.	सं. 12011/68/98-बीसीसी	27-10-99	आन्ध्र प्रदेश, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
6.	सं. 12011/88/98-बीसीसी	6-12-99	आन्ध्र प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
7.	सं.12011/36/99-बीसीसी	4-4-2000	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
8.	सं.12011/44/99-बीसीसी	21-9-2000	आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
9.	सं.12011/09/2000-बीसीसी	6-9-01	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
10.	सं.12011/01/2001-बीसीसी	19-6-03	आन्ध्र प्रदेश, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल.
11.	सं.12011/04/2002-बीसीसी	13-1-04	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश.
12.	सं.12011/09/2004-बीसीसी	16-1-06	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश.
13.	सं.12011/14/2004-बीसीसी	12-3-07	दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार, उत्तरांचल, पुडुचेरी, त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र.
14.	सं.12011/16/07-बीसीसी	12-10-07	पंजाब और उड़ीसा
15.	सं.12018/06/05-बीसीसी	30-7-10	बिहार
16.	सं.12015/02/07-बीसीसी	18-8-10	छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और दमन एवं दीव.

6. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 14 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल) एवं 2 संघ राज्य क्षेत्रों (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और पुडुचेरी) से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने अथवा संशोधन करने के लिये जातियों और समुदायों (उपजातियों एवं पर्यायों सहित) की सिफारिश की है.



7. सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, उपर्युक्त राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में, परिशिष्ट में दिए गए अंतर्वेशन/संशोधनों को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है। ये अंतर्वेशन/संशोधन इस संकल्प के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

पी. पी. मित्रा, संयुक्त सचिव.

### मध्यप्रदेश

विद्यमान प्रविष्टियां	संशोधित प्रविष्टियां
1. अहीर, ब्रजवासी, गावली, गोली, गवाली, लिंगयात-गौली, गोवारी (ग्वारी), गोवरा, गवारी, ग्वारा, जादव, यादव, राउट, थैथावर, गोप/गोपाल.	1. अहीर, ब्रजवासी, गावली, गोली, गवाली, लिंगयात-गौली, गोवारी (ग्वारी), गोवरा, गवारी, ग्वारा, जादव, यादव, राउट, थैथावर, गोप/गोपाल, बरगही, बरगाह.
5. बरायी, वरायी, वारी (चौरसिया), तमोली, तम्बोली, कुम्मावट्ट, कुमावट.	5. बरायी, वरायी, वारी (चौरसिया), तमोली, तम्बोली, कुम्मावट्ट, कुमावट, बारी.
12. पवार, भोयार/भोखयार	12. पवार, भोयार/भोखयार, पनवर
19. देशवाली, मेवाती (विदिशा जिले के सिरोंज तहसील को छोड़कर).	19. देशवाली, मेवाती (विदिशा जिले के सिरोंज तहसील को छोड़कर) मिना (रावत) देशवाली.
21. गडरिया, धनगर, कुरनार, हटगर, हटकर, हाटकार, गादरी, गडरिया, गारी, गायरी.	21. गडरिया, धनगर, कुरनार, हटगर, हटकर, हाटकार, गादरी, गडरिया, गारी, गायरी, धारिया, धोशी (गडरिया), गडरिया (पाल बाघेले).
27. लोहार, लुहार, लोहपिता, गादोले, गोदेला, लोहपत, लोहपेटा, विश्वकर्मा.	27. लोहार, लुहार, लोहपिता, गादोले, गोदेला, लोहपत, लोहपेटा, विश्वकर्मा, लोहार, गरोला, लोहार (विश्वकर्मा).
36. कुरमार/कुरामी/कुर्मी, कुम्बी, कुर्मी (पटिडार, कुलामी, कुल्मी, कुलाम्बी, गवेल/गभेल).	36. कुरमार/कुरामी/कुर्मी कुम्बी, कुर्मी (पटिडार, कुलामी, कुल्मी, कुलाम्बी, गवेल/गभेल), कुर्मवंशी, चन्द्रकार, चन्द्र नाहु, कुम्भी गवेल (गमेल), सिर्वी.
39. कलोटा/कोल्टा/कोलट्टा	39. कलोटा/कोल्टा/कोलट्टा/कलोथा
<b>विद्यमान प्रविष्टि</b>	<b>नई प्रविष्टि</b>
66. शून्य	66. खैरुवा

### (viii) महाराष्ट्र

विद्यमान प्रविष्टियां	संशोधित प्रविष्टियां
28. धांगर	28. धांगर, धनगरी
35. गढ़पगड़ी	35. गढ़पगड़ी, गरपगारी
38. गोवलि	38. गोवलि, मुस्लिम गवली
65. कोली, ईसाई कोली, चुम्बले, गाबित, खरबा या खरवी, माचीमार कोली, मंगेला/मंगला, पनभरे (पनभरी), सोन कोली, कोली सूर्यावंशी, वैती, अहीर कोली, पन कोली, बारी.	65. कोली, ईसाई कोली, चुम्बले गाबित, खरबा या खरवी, माचीमार कोली, मंगेला/मंगला, पनभरे (पनभरी) सोन कोली, कोली सूर्यावंशी, वेती, अहीर कोली, पन कोली, बारी, खानादेशी कोल खारवा या खारवी, कोली, (अनुसूचित जनजाति में जो शामिल हैं, के अलावा).

भारती दशपुत्रे, अवर सचिव.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

तेन्दूखेड़ा, दिनांक 1 जुलाई 2013

पत्र क्र. 426-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 02-अ 82-वर्ष 2012-13-मौजा-हीरापुर.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	हीरापुर	2.372	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 426-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 03-अ 82-वर्ष 2012-13-मौजा-ग्वारी.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	ग्वारी	2.259	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 426-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 04-अ 82-वर्ष 2012-13-मौजा-सुन्हेटी.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	सुन्हेटी	3.271	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 426-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 05-अ 82-वर्ष 2012-13-मौजा-ऊमरपानी.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	ऊमरपानी	1.743	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 426-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 06-अ 82-वर्ष 2012-13-मौजा-मनकापुर.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	मनकापुर	2.260	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 426-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 07-अ 82-वर्ष 2012-13-मौजा-जैतपुर.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	जैतपुर	0.296	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 426-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 08-अ 82-वर्ष 2012-13-मौजा-भामा.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	भामा	1.743	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**संजीव सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 1 जुलाई 2013

क्र. 4705-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	निम्न सर्वे नं. का लगभाग क्षेत्र (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	घंसौर/रा.नि.म./ कहानी.	गोरखपुर, प.ह.नं. 21, बंदो. नं. 171.	12.66	हेड प्रोजेक्ट झाबुआ पॉवर लिमिटेड बरेला तह. घंसौर, जिला सिवनी.	विद्युत् संयंत्र स्थापना एवं विद्युत् निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**भरत यादव**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2013

प्र. क्र. 16-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	मोहनगढ़	गोर	4.282	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा, टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम गोर की भूमि का अर्जन. भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2013

प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	मोहनगढ़	पडवार	5.458	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा, टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम गोर की भूमि का अर्जन.  
(3) भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	मोहनगढ़	नंदनपुर	3.185	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा, टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम गोर की भूमि का अर्जन.  
 (3) भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़, दिनांक 11 जुलाई 2013

प्र. क्र. 17-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	मोहनगढ़	केशरमरार	6.298	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा, टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम केशरमरार की भूमि का अर्जन.  
 (3) भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**सुदाम खाडे**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 जुलाई 2013

क्र. 1541-प्रका.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	अमरैया	0.051	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के मैदानी माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. 1595-प्रका.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	सोहागी	2.407	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.



क्र. 1597-प्रका.-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	टिकुरी	0.700	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1609-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	किचवरिया	0.840	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर, संभाग रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की केमली सब-माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1611-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने

(5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	ढोंढी	0.607	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर, संभाग रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की केमली माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बी. बी. श्रीवास्तव**, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 10 जुलाई 2013

प्र. क्र. 29-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	लुहारी, प.ह.नं. 3	0.10	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	दमोह जबलपुर मार्ग में बस ले-बाय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड, डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 31-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	कुशली, प.ह.नं. 5	0.10	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	दमोह जबलपुर मार्ग में बस ले-बाय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड, डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 32-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	पौड़ी (राजघाट), प.ह.नं. 3.	0.66	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	दमोह जबलपुर मार्ग में ट्रक ले-बाय एवं बस ले-बाय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड, डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 33-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	बोरिया, प.ह.नं. 13	0.05	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	दमोह जबलपुर मार्ग में बस ले-बाय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड, डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**विवेक पोरवाल**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 28 जून 2013

क्र. 2203-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 3-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नीमच  
(ख) तहसील—जावद  
(ग) नगर/ग्राम—अठाना  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.050 हेक्टर.

सर्वे नं.	प्रभावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
784	0.042
785	0.008
योग . .	<u>0.050</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भडभडिया जावद अठाना सुखानन्द मार्ग ग्राम अठाना से आगे कि.मी. 15/6 में निर्माण में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड जावद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकाससिंह नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

तेन्दूखेड़ा, दिनांक 1 जुलाई 2013

प्र.क्र. 01-अ-82-वर्ष 2011-12 प.क्र. 420-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है

कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—तेन्दूखेड़ा  
(ग) ग्राम—करौदी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.192 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
33/1	0.060
33/2	0.030
34, 35/2, 36/2	0.090
37/2, 38/2	0.120
61/3	0.167
65	0.235
66	0.080
67	0.060
17/1	0.075
17/2	0.055
18, 19	0.155
23/1	0.085
25	0.050
56	0.289
27	0.247
28/1	0.100
31/1, 3	0.104
26/1	0.190
योग . .	<u>2.192</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—तेन्दूखेड़ा गाडरवारा मार्ग (सड़क निर्माण) हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 1 जुलाई 2013

क्र. भू-अर्जन-01(अ-82) 2009-10.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—मण्डला  
(ग) ग्राम—लावर मुड़िया मा., प.ह.न. 12  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.24 हेक्टर.

ख. न.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
796	0.24
योग . .	0.24

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लावर जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-03(अ-82) 2012-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—निवास

- (ग) ग्राम—कोबरी कला, प.ह.न. 35  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.99 हेक्टर.

ख. न.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
215/1	0.10
265/4	0.05
265/5	0.06
265/6	0.07
265/7	0.10
265/8	0.12
265/9	0.10
267	0.05
270	0.27
271	0.49
387	0.40
388	0.12
389/1	0.06
योग . .	1.99

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोबरी कला जलाशय-वेस्टवियर निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**लोकेश कुमार जाटव**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 2 जुलाई 2013

प्र. क्र. 45-अ-82-2012-13-क्र. 1503-भू-अर्जन-नहर.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—ठीकरी

(ग) ग्राम—रसवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.760 हेक्टर.

(ग) ग्राम—दाभड

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.435 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(1)	(2)
31/1	0.080	2/1	0.050
31/2/1	0.210	6/1, 6/2, 7/1, 30/1/2क	0.485
31/2/2	0.150	7/2, 30/1/2ख	0.360
46/1	0.350	12	0.395
46/2/1	0.010	13	0.425
46/2/2	0.040	14/4	0.150
46/2/3	0.060	14/237/1/2	0.150
46/2/4	0.325	14/237/2/2	0.070
86/1/1/2, 86/4, 92	0.350	32/2	0.630
86/1/2, 90/1	0.540	14/237/2/3/1	0.150
86/1/3/1, 86/5, 93/1	0.160	15/1, 15/2	0.350
86/1/3/3, 93/3	0.065	26/2	0.170
93/5	0.230	26/3	0.120
93/6	0.190	27/1	0.093
योग . .	<u>2.760</u>	31/3/1	0.060
		33/3/2	0.040
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.		14/237/2/3/2	0.100
		31/3/2	0.250
		32/1	0.010
<b>नोट.</b> —भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.		34/1/1	0.300
		34/1/2	0.190
		48/1	0.380
		49/3, 52/1/3	0.218
		49/4, 52/1/4	0.065
		53	0.051
प्र. क्र. 53-अ-82-2012-13-क्र. 1502-भू-अर्जन-नहर.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		54/1	0.260
		59	0.005
		154/1	0.050
		163, 164	0.040
		166/2	0.420
		167/2	0.160
		169/1	0.050
		170/1	0.356
		170/2	0.070
		171/2	0.151
		173/2/2	0.060
		178/1	0.060
(1) भूमि का वर्णन—		178/2	0.220
(क) जिला—बड़वानी		178/3	0.220
(ख) तहसील—ठीकरी			

(1)	(2)
178/4/1	0.060
213	0.016
214/1	0.890
214/2	0.400
217/1, 217/1/2	0.285
217/1/1, 217/4	0.165
217/2	0.200
217/3/1	0.025
230	0.010
योग . .	<u>9.435</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**श्रीमन् शुक्ला**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 4 जुलाई 2013

क्र. भू-अर्जन-पूरक-04 (अ-82)-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी  
(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—दूधीमझौली, प.ह.नं. 05  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.12 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11	1.070
15	0.180
25	2.200
28	0.180
29	0.150
48	0.620
50	1.600
64	0.160
68	0.250
69	1.060
167	0.450
168	0.450
	<u>8.37</u>
<b>शासकीय भूमि</b> 21, 49, 51, 164	0.75
कुल योग . .	<u>9.12</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिलघटी जलाशय के शेष शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-05 (अ-82)-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी  
(ख) तहसील—डिण्डौरी  
(ग) ग्राम—किवटी, प.ह.नं. 75/152  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.39 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
249	0.12
250	0.12

(1)	(2)	(1)	(2)
251	0.40	342	0.18
252	0.38	315/1	0.12
300	0.06	315/2	0.32
301	0.26		योग . . 14.86
302	0.26		
303	0.26		
304	0.34	318, 321, 324, 295	0.53
305	0.30		योग . . 15.39
306	0.26		
307	0.01	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—चटुआ	
308	0.05	हाई लेबिल टैंक के शीर्ष कार्य हेतु.	
309/1	0.30	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/	
309/2	0.88	कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में किया जा सकता है.	
310	0.84		
316/1	0.38		
316/2	0.37		
317/1	0.30		
317/2	0.40		
374	0.05		
378	0.06		
313	0.25		
319	0.28		
320	0.67		
322	0.36		
323	0.39		
325	0.20		
326	0.29		
344	0.30		
291/1	0.39		
291/2	0.09		
291/3	0.28		
292/1	0.07		
292/2	0.04		
293	0.34		
294	0.68		
296/1	0.15		
296/2	0.44		
297	0.92		
298	0.41		
299/1	0.14		
299/2	0.26		
312/1	0.19		
312/2	0.52		
311	0.08		
343	0.10		

### शासकीय भूमि

- क्र. भू-अर्जन-06 (अ-82)-2012-13-673.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी  
 (ख) तहसील—डिण्डौरी  
 (ग) ग्राम—पहरूआ माल, प.ह.नं. 5  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—22.520 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
173	0.170
169	0.070
170	0.100
178	0.450
181	0.020
227	0.070
174	0.160
172/1	1.050
221	0.560
167	0.080
232	0.550
248	1.300



(1)	(2)
176	0.210
177	0.080
179	0.240
180	0.200
223	0.260
230	0.070
233	0.090
172/2	0.230
183	1.000
184	0.170
311	0.200
185	0.090
162	1.900
186	0.030
163	0.040
220/1	1.570
220/2	1.540
222	0.870
245	0.640
224	0.100
228	0.090
229	0.250
251	0.120
236	0.180
158	0.370
237	0.040
238	0.180
250	0.560
252	0.290
175	0.030
166	0.160
145/348	0.130
कुल योग निजी भूमि . .	<u>16.51</u>
<b>शासकीय भूमि</b>	
171, 144, 182, 219, 251, 161, 242, 246, 145/349, 247, 249, 291	6.010
कुल योग . .	<u>22.52</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मोहरा पहरूआ जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय के में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-07 (अ-82)-2012-13-672.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी  
(ख) तहसील—शहपुरा  
(ग) ग्राम—पहरूआ रै., प.ह.नं. 5  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.32 हैक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हैक्टर में)
(1)	(2)

#### निजी भूमि

158/1	0.160
158/2	0.160
कुल योग निजी भूमि . .	<u>0.32</u>

#### शासकीय भूमि

0	0.000
कुल योग . .	<u>0.32</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मोहरा पहरूआ जलाशय के नहर कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय के में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-08 (अ-82)-2012-13-674.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी  
(ख) तहसील—शहपुरा

- (ग) ग्राम—पहरूआ माल, प.ह.नं. 5  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.89 हैक्टर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मोहरा पहरूआ जलाशय के नहर कार्य हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय के में किया जा सकता है.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हैक्टर में)
(1)	(2)
248	0.070
251	0.060
252	0.010
253/3	0.160
266/1	0.190
265	0.130
262	0.190
98	0.220
103	0.070
97	0.070
94	0.020
107	0.110
108	0.040
109	0.010
116	0.030
115	0.060
114	0.050
46	0.030
48	0.110
47/1	0.060
47/2	0.050
32/1	0.160
32/2	0.230
32/3	0.160
30	0.200
4	0.130
29	0.130
8	0.020
6	0.040
7	0.080
2/2	0.180
26	0.020
9	0.010
कुल योग निजी भूमि . .	3.10
शासकीय भूमि	
260, 263, 261, 101, 100	0.790
99, 95, 93, 92	
कुल योग . .	3.89

क्र. भू-अर्जन-09 (अ-82)-2011-12-675.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी  
(ख) तहसील—शहपुरा  
(ग) ग्राम—मोहरा कला, प.ह.नं. 01  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.68 हैक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हैक्टर में)
(1)	(2)
<b>निजी भूमि</b>	
509	0.370
726	0.120
730/1	0.110
727	0.030
728	0.150
725	0.110
730/2	0.020
731	0.340
732	0.040
684	0.390
331	0.080
733	0.140
734	0.130
706	0.110
717	0.120
335	0.130
716/2	0.070
716/1	0.200
715	0.070
713	0.070

(1)	(2)
441	0.090
685	0.080
332	0.080
682	0.270
672	0.020
334/1	0.100
334/2	0.090
339	0.030
340	0.050
319	0.060
318	0.010
313	0.010
162	0.030
312	0.020
308	0.140
304	0.050
151	0.110
306	0.050
307	0.070
150	0.160
190	0.110
189	0.270
188	0.020
202	0.210
164	0.190
156/1	0.030
156/2	0.030
396	0.250
कुल योग निजी भूमि	<u>.5.430</u>

#### शासकीय भूमि

738, 704, 683, 681,		1.250
333, 337, 342, 172,		
310, 199, 180, 204,		
152, 155, 508		
कुल योग . .		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मोहरा पहरूआ जलाशय के नहर कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. 484-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—सनावद  
(ग) ग्राम—भोकरिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.492 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
56/1	0.288
57/1	0.104
59	0.040
64/9	0.086
64/10	0.040
64/11	0.296
64/12	0.068
64/17	0.392
66/3	0.016
66/4	0.060
66/5	0.006
67	0.096
योग . .	<u>1.492</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की सनावद वितरण शाखा की उप नहर क्रमांक एम. 16 की सब माईनर क्रमांक एस.एम.-3 के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औँकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		(1)	(2)
शिवपुरी, दिनांक 13 जुलाई 2013		679	0.01
		684/1	0.01
		749	0.02
		765/1	0.04
क्र. क्यू-भू-अर्जन-959.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में		766	0.01
वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित		767	0.22
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन		770	0.02
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के		773	0.02
अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की		776	0.12
उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		777	0.05
अनुसूची		804/मिन 1	0.02
(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय		805	0.03
(क) जिला—शिवपुरी		806	0.04
(ख) तहसील—करैरा		807	0.03
(ग) नगर/ग्राम—सिरसौद		808	0.01
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.30 हेक्टर.		809	0.07
		812	0.01
		813	0.14
सर्वे नम्बर		3441/मिन 1	0.08
अर्जित रकबा		3443/मिन 1	0.13
(हेक्टर में)		3451	0.02
(1)	(2)	3448	0.05
88	0.01	3450	0.11
90	0.13	3974	0.03
92	0.05	3991	0.05
100	0.04	3992	0.01
101	0.03	3993	0.08
112	0.05	4041	0.01
113	0.01	4042	0.05
114	0.10	4045	0.10
115	0.03	4046	0.03
116	0.05	4048	0.07
117	0.01	4049/मिन 2	0.02
119	0.01	4050	0.10
120	0.09	4051	0.01
121	0.05	4055	0.04
122	0.01	4057	0.05
148	0.21	4058	0.15
159	0.04	4061	0.19
657	0.16	4062	0.14
658	0.02	4063/मिन 1	0.19
659	0.01	4071	0.02
674	0.03	4089	0.04
677	0.05	4091	0.08
678	0.04	4092	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
4094	0.03	4764/मिन 1	0.03
4095	0.10	4774/1/1	0.30
4096	0.06		
4130/2	0.06		योग . . 9.30
4133	0.21		
4156	0.14	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महुअर	
4163	0.10	मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.	
4409	0.02	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी,	
4410	0.12	तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.	
4411	0.06		
4412	0.02		
4447	0.31	क्र. क्यू-भू-अर्जन-960.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का	
4451/1	0.26	समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में	
4458	0.02	वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित	
4460	0.03	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन	
4461/2/मिन 2	0.22	अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के	
4462	0.06	अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की	
4465/1	0.02	उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	
4465/2	0.02	अनुसूची	
4465/3	0.02	(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय	
4474	0.17	(क) जिला—शिवपुरी	
4478	0.13	(ख) तहसील—करैरा	
4479	0.02	(ग) नगर/ग्राम—बडोरा	
4484/2	0.26	(घ) कुल क्षेत्रफल—5.67 हेक्टर.	
4485	0.13	सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा
4486	0.10		(हेक्टर में)
4488/5	0.08	(1)	(2)
4515/मिन 2	0.14	1684/2	0.21
4516/3	0.16	1684/4	0.05
4517	0.13	1684/7	0.03
4537	0.09	1684/8	0.13
4540/1/10	0.11	1684/10	0.09
4540/1/12	0.11	1684/12	0.09
4540/मिन 2	0.14	1685/4	0.07
4541	0.29	1685/5	0.07
4542	0.11	1688	0.20
4544	0.30	1689	0.09
4545/मिन 2	0.04	1690	0.07
4546/मिन 1	0.03	1693	0.07
4546/मिन 2	0.05	1694	0.04
4547	0.06	1695	0.08
4750	0.25	1696	0.12
4761	0.03	1719/1	0.01
4762	0.04	1721	0.07
4763	0.15		

(1)	(2)	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.
1725	0.08		
1726	0.02	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील करैरा कार्यालय में देखा सकता है.
1810	0.02		
1811	0.20		
1822/1	0.03		
1822/2	0.01		
1824	0.13		
1828	0.10		
1829	0.13		
1830/1	0.16		
1830/2	0.13		
1832/1	0.14		
1832/2	0.01		
1833	0.07		
1880	0.03		
1881	0.04		
1888/2/1	0.11		
1888/5	0.18		
1888/6	0.02		
1888/7	0.16		
1892	0.08		
1893	0.12		
1895	0.01		
1898	0.05		
1899	0.10		
1901	0.06		
1902	0.14		
1903	0.09		
1904	0.16		
2035	0.03		
2046/1	0.02		
2047/2	0.13		
2055	0.03		
2056	0.07		
2058	0.20		
2086/1	0.11		
2086/2	0.01		
2088	0.14		
2089	0.18		
2090	0.25		
2229	0.05		
2232	0.23		
2233	0.13		
2235	0.01		
2236	0.01		
	योग . . .	5.67	
		सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
		(1)	(2)
		1683	0.11
		1684	0.15
		1685	0.06
		1687	0.35
		1688	0.13
		1689	0.10
		40	0.15
		43	0.08
		44	0.18
		50	0.13
		53	0.76
		64	0.17
		242	0.02
		243	0.20
		244	0.02
		246	0.18
		247/1	0.08
		247/3	0.08
		248	0.06
		249	0.06
		254	0.21
		320/2	0.08
		324	0.48

क्र. क्यू-भू-अर्जन-961.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—करैरा  
(ग) नगर/ग्राम—सिल्लारपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.08 हेक्टर.

(1)	(2)
326/1	0.05
327/1	0.09
331/1	0.06
332/1	0.11
337/मिन. 1	0.04
338	0.15
339/मिन. 1	0.15
340	0.08
345	0.02
391/मिन. 1	0.01
392/2	0.07
405	0.18
1005/2	0.21
1002	0.02
योग . .	<u>5.08</u>

(लालपुर पिकअप वीयर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाली निजी भूमि पर स्थित सपत्तियों की अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 11 जुलाई 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील करैरा कार्यालय में देखा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-13-962.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—करैरा  
(ग) नगर/ग्राम—लालपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.80 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
131/6	0.47
131/1/16	0.33
योग . .	<u>0.80</u>

प्र. क्र. 1990.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली  
(ख) तहसील—सिंगरौली  
(ग) ग्राम—खजुरी, पटवारी हल्का नं. कटौली 18  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.72 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
130	0.01
133	0.05
135	0.03
136	0.03
137	0.02
142	0.08
143	0.03
144	0.04
170	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय नहर दांयी तट नहर

(1)	(2)	(1)	(2)
173	0.01	350	0.01
178	0.25	351	0.09
192	0.01	352	0.10
193	0.02	353	0.05
198	0.06	356	0.12
202/1	0.16	358	0.15
203	0.15	360	0.02
211	0.29	362	0.15
212	0.28	363	1.11
217	0.03	377/1	0.01
230	0.03	377/3	0.03
235	0.02	377/4	0.03
236	0.02	377/5	0.03
241	0.06	377/6	0.03
245	0.04	381	0.01
248	0.02	382	0.07
250	0.02	386	0.01
251	0.01	401	0.05
252	0.02	404/1	0.15
255/1	0.4	407	0.01
261	0.03	409	0.01
265	0.03	415	0.27
268	0.04	417/1	0.04
280	0.05	446	0.01
283	0.07	448/1	0.03
288	0.05	452	0.02
289	0.11	453	0.02
290/1	0.19	454	0.02
295	0.02	455	0.03
299	0.03	461/1	0.01
301	0.03	462/1	0.01
308	0.02	467	0.05
310	0.06	468	0.05
312	0.03	469	0.04
313	0.06	417	0.03
315/1	0.06	471	0.03
319	0.03	473	0.20
324	0.06	474	0.10
331	0.02	475	0.04
333	0.01	476	0.02
336/1	0.24	477	0.02
339	0.05	478	0.01
348	0.19	516	0.01
349/1	0.06	517/1	0.01



(1)	(2)	(1)	(2)
518/1	0.01	507/7	0.02
523	0.01	963	0.03
524	0.01	965	0.02
योग . .	<u>6.72</u>	966	0.02
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंगरौली जिले में नवीन हवाई पट्टी के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.		967/1	0.02
		967/2	0.01
		967/3	0.02
		967/4	0.06
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.		968	0.02
		969	0.02
		970	0.02
		971	0.04
		972	0.03
		973	0.03
प्र. क्र. 1992.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		974/1	0.04
		974/2	0.01
		974/3	0.01
		975	0.22
		976	0.02
		977/1	0.07
		978	0.01
		979	0.03
		980	0.03
		982	0.20
		983	0.47
		984	0.08
		1029	0.01
		1043	0.05
		1044	0.01
		1045	0.04
		1046	0.03
		1047	0.04
		1048/1	0.02
		1048/2	0.01
		1048/3	0.02
		1048/4	0.02
		1049/1	0.05
		1049/2/क	0.01
		1049/2/ख	0.01
		1049/2/ग	0.02
		1050	0.08
		1051/2	0.02
		1051/3	0.01
		1053	0.01
		1054	0.01

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली  
(ख) तहसील—सिंगरौली  
(ग) ग्राम—कटौली, पटवारी हल्का नं. कटौली 18  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —18.61 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा  
(हे. में)

(1)

(2)

506

0.03

507/1/ख

0.02

507/1/ग

0.01

507/1/घ

0.01

507/1/नग

0.03

507/1/च

0.01

507/2

0.08

507/3/क

0.04

507/3/ख

0.02

507/4

0.03

507/6/ख

0.01

507/6/ग

0.01

507/6/घ

0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
1055	0.03	1105	0.04
1056/1	0.02	1106	0.07
1056/2/ख	0.01	1108	0.02
1057/1	0.03	1110	0.03
1058/1	0.03	1112	0.02
1058/2	0.03	1114	0.04
1059	0.06	1115	0.16
1060	0.08	1119/1/क	0.02
1062	0.01	1119/1/ख	0.02
1063/1	0.05	1119/1/ग	0.02
1066	0.01	1120	0.04
1067	0.01	1121	0.04
1070	0.30	1122	0.01
1071	0.03	1123	0.01
1073	0.15	1124/1	0.05
1074/1	0.04	1124/2	0.03
1074/2	0.03	1124/3	0.02
1074/3	0.06	1127	0.03
1074/4	0.02	1128	0.02
1075	0.01	1129	0.02
1076/1	0.05	1132/1	0.02
1076/3	0.02	1133	0.02
1076/4	0.02	1134	0.01
1076/5	0.01	1135	0.01
1077/1	0.19	1144	0.02
1077/2	0.01	1151/1	0.01
1077/3	0.06	1151/2	0.01
1078	0.14	1152	0.03
1079/1	0.07	1154	0.06
1079/2	0.02	1161/2	0.03
1079/3	0.07	1173	0.02
1080	0.08	1174/1	0.01
1081	0.08	1174/2	0.01
1082	0.02	1175	0.02
1083	0.01	1176	0.03
1084	0.01	1177	0.03
1085	0.02	1178	0.01
1086	0.05	1179	0.03
1087	0.06	1182	0.04
1092	0.02	1183	0.04
1093	0.01	1184	0.01
1094	0.01	1185	0.01
1095	0.01	1186	0.01
1096	0.01	1187	0.17
1098	0.02	1188	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
1189/1	0.02	1263	0.04
1189/2	0.01	1265	0.04
1190/1	0.01	1266	0.02
1190/2	0.01	1267/1	0.01
1191	0.01	1267/2	0.02
1192/1	0.04	1268	0.05
1192/2	0.01	1269	0.03
1193	0.01	1270	0.02
1194	0.01	1271/1/K	0.04
1195/1	0.03	1271/1/Kh	0.02
1195/2	0.01	1271/2	0.01
1196	0.01	1272	0.03
1197	0.02	1273/1	0.05
1198/1	0.02	1273/2	0.02
1199	0.03	1274/1/K	0.02
1200	0.04	1274/1/Kh	0.02
1201	0.02	1274/2	0.01
1208	0.02	1275	0.03
1209	0.02	1276	0.02
1215/1	0.01	1277	0.03
1216	0.03	1278	0.02
1217	0.01	1279	0.02
1218	0.02	1280	0.01
1219	0.02	1281/1/K	0.02
1220	0.01	1282/1/Kh	0.01
1221	0.01	1282/2	0.01
1222	0.02	1283	0.01
1223	0.02	1284	0.01
1224	0.01	1285	0.03
1229	0.18	1286	0.01
1230	0.01	1287	0.01
1237	0.02	1289	0.02
1246	0.01	1291	0.01
1247/1	0.01	1293/2	0.01
1247/2	0.01	1294/1	0.18
1248	0.01	1296	0.11
1250/1	0.02	1304/1	0.02
1251	0.03	1304/2	0.02
1252	0.05	1305	0.03
1257	0.05	1307/1	0.01
1258	0.15	1307/3	0.02
1259	0.09	1317/1/K	0.04
1260	0.06	1318/1	0.20
1261	0.02	1318/2	0.02
1262	0.09	1321	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
1322	0.08	1356	0.05
1323/1	0.04	1357	0.06
1324	0.05	1358/1/K	0.03
1325	0.16	1358/1/Kh	0.03
1326/1	0.01	1358/2	0.07
1326/2	0.05	1359/1	0.01
1330/1	0.04	1359/2/1	0.02
1331/1	0.02	1359/2/2	0.01
1332/1	0.08	1359/2/3	0.01
1332/2	0.10	1359/3	0.04
1333	0.03	1360	0.01
1334	0.04	1361/1	0.01
1335	0.06	1361/2	0.01
1336	0.01	1362/1/K	0.03
1337/1	0.03	1362/1/Kh	0.05
1337/2	0.02	1362/2	0.07
1338	0.10	1363/1	0.12
1339	0.27	1364	0.25
1340	0.37	1365	0.02
1341/1	0.04	1366/1	0.02
1341/2	0.11	1366/2	0.12
1342/1	0.14	1367/1	0.01
1342/2	0.02	1367/2	0.01
1343/1	0.05	1367/3	0.01
1343/2	0.03	1368	0.04
1344	0.53	1369	0.01
1345	0.06	1370/3	0.01
1346	0.02	1420	0.01
1347/1/K/1	0.02	1421	0.04
1347/1/K/2	0.02	1422	0.15
1347/1/Kh	0.01	1423	0.01
1347/1/G	0.02	1424	0.02
1347/2	0.02	1428	0.01
1347/3	0.01	1429	0.09
1347/4	0.02	1430	0.06
1347/5	0.02	1431	0.10
1347/6	0.01	1432	0.10
1349	0.11	1433	0.02
1350/2	0.04	1434	0.05
1351/1	0.03	1435	0.02
1351/2	0.04	1436	0.06
1352/1	0.02	1437/1	0.01
1352/2	0.03	1438	0.01
1354	0.18	1500	0.23
1355	0.20	1501/1	0.29

(1)	(2)	(1)	(2)
1501/2	0.02	1544	0.01
1501/3	0.04	1545	0.03
1501/4	0.02	1546	0.03
1502/1	0.06	1547	0.01
1502/2	0.06	1548	0.01
1504	0.03	1549	0.02
1505	0.10	1550	0.02
1506	0.02	1551	0.01
1507	0.03	1552	0.01
1508	0.04	1553	0.03
1509	0.25	1554	0.02
1510	0.02	1555	0.05
1511	0.04	1556	0.05
1512	0.03	1557	0.04
1513	0.05	1558	0.06
1514	0.05	1559	0.07
1515	0.03	1560/1	0.02
1516/1	0.04	1560/2	0.02
1516/2	0.04	1561	0.04
1517	0.01	1562	0.03
1518	0.04	1563	0.01
1519	0.02	1564	0.01
1520	0.02	1565/1	0.10
1521/1	0.07	1566	0.01
1521/2	0.05	1567	0.02
1521/3	0.05	1568	0.01
1522/1	0.02	1569	0.01
1522/2	0.02	1570	0.01
1523/1	0.08	1571	0.01
1523/2	0.08	1572	0.01
1524	0.02	1594/1	0.01
1525	0.02	1595/1	0.05
1526	0.03	1596	0.03
1527	0.02	1597	0.03
1528	0.02	1598	0.02
1529	0.02	1599	0.01
1530	0.03	1600	0.01
1531	0.02	1702	0.03
1532	0.04	1703	0.16
1533	0.01	1704	0.05
1534	0.01	1705	0.07
1536	0.01	1706	0.11
1541	0.01	1707	0.03
1542	0.01	1708	0.07
1543	0.02	1709	0.09

(1)	(2)
1710	0.01
1711	0.04
1712	0.03
1713	0.03
1714	0.01
1715	0.01
1716	0.01
1717	0.01
1725	0.01
1726	0.01
1727	0.01
1729	0.01
1730	0.01
1736	0.01
1737	0.06
1738	0.01
1739	0.02
1740	0.01
1787	0.11
1788	0.02
1790	0.01
1348/2612	0.03
1348/2613	0.04
1348/2614	0.04
1331/2615	0.04
1316/2619	0.05
1432/2623	0.06
1432/2624	0.05
1432/2625	0.05
1432/2626	0.05
1504/2630	0.02
1504/2631	0.03
1332/2642/1	0.02
1332/2642/2	0.02
1332/2642/3	0.02
1332/2642/4	0.01
1333/2643	0.05
योग . . .	<u>18.61</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंगरौली जिले में नवीन हवाई पट्टी के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 1994.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली

(ख) तहसील—सिंगरौली

(ग) ग्राम—सिंगरौलिया, पटवारी हल्का नं. हिरवाह 43

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.81 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
313	0.10
324	0.03
326	0.12
347	0.13
359/1	0.27
374/1	0.01
383	0.01
391/1	0.07
396/1	0.05
445/1	0.15
448/2	0.01
453/1	0.01
457/1	0.15
526	0.08
527	0.01
536	0.10
537	0.15
538	0.14
539	0.07
540	0.04
541	0.07
542	0.04
योग . . .	<u>1.81</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंगरौली जिले में नवीन हवाई पट्टी के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश  
 एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
 राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्र. 7176-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—चौरई  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम समसवाड़ा, प. ह. नं.-16/30,  
 ब. नं.-266, रा.नि.मंडल-चौरई,  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—19.910 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	(1)	(2)
		54/1 ख, 54/2फ, 54/2ड	0.260
		54/1ग, 54/1छ, 54/2घ	0.026
		60/6	0.202
		60/7, 60/8	0.396
		59/4	0.934
		59/3	0.016
		149/2	0.610
		150/1	0.290
		150/2	0.238
		153/1, 154/2	0.227
		153/2	0.300
		175	1.038
		176	0.016
		151/1, 177/2 ख	0.138
		195/1	0.380
		195/2	0.428
		196/1	0.094
		196/2	0.094
		198/2	0.237
		197	0.165
		198/1, 199	0.135
		354, 255, 256	0.130
		200/1, 200/2	0.012
		209	0.073
		210	0.178
		211	0.297
		212	0.228
		213/2, 215/2	0.634
		217/1	0.332
		217/2	0.020
		421/2	0.202
		416/1	0.490
		416/8	0.165
		418/2	0.028
		416/2	0.175
		414/4	0.809
		414/5	0.607
		470/3	0.097
		478	0.243
		481	0.300
		413/2	0.088
		411/1	0.436
		475, 476/3	0.618
		482/2	0.138
33/1	0.306		
33/4, 37/2	0.398		
33/5, 37/3, 34/1, 35/3, 43/1	0.050		
38	0.080		
35/1	0.035		
35/2	0.005		
33/7	0.032		
34/3, 43/3	0.324		
34/2, 43/2	0.283		
43/4	0.105		
42/3	0.064		
51/4	0.170		
51/2, 51/6	0.364		
51/3	0.286		
51/5	0.080		
54/3क	0.470		
41/3	0.307		
53, 54/3ग	0.307		

(1)	(2)
482/3	0.607
484/1	0.388
484/2	0.468
484/3	0.024
464/3	0.024
464/4	0.070
464/12	0.070
464/14	0.070
464/15	0.070
464/5	0.040
464/13	0.070
464/11	0.070
463/1	0.515
463/2	0.109
451	0.380
452, 453	0.444
455	0.277
454/2	0.024
योग . . .	<u>19.910</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 5, सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—चौरई  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम खमरियाखुर्द, प. ह. नं.-15/27, ब. नं.-43, रा.नि.मंडल-चौरई,  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—03.928 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
102/3, 103/2, 104/2,	0.089
105/4, 105/5, 106/2	
103/1, 105/2, 3	0.089
103/3	0.008
104/3	0.046
105/6	0.020
106/3	0.015
107/2	0.010
102/1, 2, 106/1	0.040
92/3	0.081
99, 100	0.546
97, 98	0.113
108/1, 109/1	0.154
96/2	0.240
92/1	0.190
92/2	0.190
92/4	0.005
93	0.130
91	0.174
79/1, 89/1	0.198
78/1ड, 90/5	0.230
78/1छ, 90/4	0.246
78/1 ग, 90/3	0.174
78/1ड, 90/6	0.158

क्र. 7177-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन



(1)	(2)	(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—08.277 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (2)
78/1ण, 90/8	0.642			
70/2	0.020			
78/2	0.120			
योग . .	<u>03.928</u>			
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.			294/1, 295/1 296 294/2, 295/3 294/3, 295/4 299/2, 303/1 299/3, 303/2	0.110 0.024 0.080 0.816 0.348 0.300
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.			304 364/1 370/1, 371/1 368/1, 369/1	0.570 0.158 0.148 0.050
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.			372/2 364/2 370/2 371/2	0.016 0.158 0.130 0.024
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 5, सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.			368/3, 369/3 372/3 365 368/2, 269/2 278, 279, 280, 281 277/3	0.020 0.016 0.174 0.506 0.328 0.008
क्र. 7178-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—			135/1, 136/1, 137/3, 138/1 135/2, 136/2, 137/1, 138/2, 135/3, 136/3, 137/11, 138/3 139/2, 140/2 139/1, 140/1 139/3, 140/3 139/4, 140/4	0.348 0.412 0.040 0.010 0.178 0.090
अनुसूची				
(1) भूमि का वर्णन—				
(क) जिला—छिन्दवाड़ा			143/4, 143/9 155/1	0.026 0.085
(ख) तहसील—चौरई			141/3	0.005
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम घोरावाडी, प. ह. नं.-16/27, ब. नं.-75, रा.नि.मंडल-चौरई,			142 156/2	0.162 0.010

(1)	(2)
143/1, 143/8	0.016
155/2	0.005
78/3	0.120
143/5, 143/6	0.014
143/7	0.014
156/3	0.162
77/1, 78/1	0.385
71	0.081
70/2, 73/3, 313/2	1.230
72	0.180
73/1, 232/2	0.020
73/2, 73/6, 213/1	0.700
योग . . .	<u>08.277</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 5, सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 17 जुलाई 2013

क्र. 12710-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—होशंगाबाद  
(ख) तहसील—सोहागपुर  
(ग) ग्राम—गजनई  
(घ) कुल अर्जनीय रकबा—0.824 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा	
	(एकड़ में)	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)	
57	1.12	0.454
58/1	0.08	0.031
58/2	0.84	0.339
योग . . .	<u>2.04</u>	<u>0.824</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—जिला होशंगाबाद एवं रायसेन के मध्य शोभापुर-गजनई से मोतलसिर-बाडी-बरेली मार्ग में निर्माणाधीन नर्मदा सेतु के पहुंचमार्ग में आने वाली भू-अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सोहागपुर, जिला होशंगाबाद में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
- (4) प्रस्तावित भूमि के मामले में विभाग द्वारा 100 प्रतिशत भुगतान जमा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर  
परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 24 जून 2013

पत्र क्र. 1396-प्रका.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) ग्राम—सकरिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.192 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
769	0.036
770	0.024
702	0.012
705	0.080
672	0.040
योग	0.192

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
- (3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1398-प्रका.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) ग्राम—नीमी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.339 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59	0.034
60	0.005
68	0.048
67	0.034
66	0.022
73, 75	0.158
76	0.007
124	0.007
125	0.029
123	0.044
122	0.113
313	0.120
146	0.014
145	0.158
144	0.007
139	0.024
140	0.007
141	0.113
274	0.007
273	0.185
282	0.005
286	0.010
287	0.036
288	0.004

(1)	(2)	(1)	(2)
290	0.008	16	0.09
289	0.070	138	0.13
240	0.017	17	0.13
239	0.043	104	0.06
291	0.010	100	0.06
योग	1.339	101	0.08
(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.		96	0.06
(3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.		97	0.06
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		89	0.03
		90	0.01
		91	0.060
		87	0.05
		86	0.06
		84	0.06
		60	0.05
		59	0.04
रीवा, दिनांक 28 जून 2013		61	0.04
		58	0.09
क्र. 1452-प्रका.-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		54	0.08
		51	0.07
		50	0.06
		44	0.04
		43	0.07
		41	0.07
		40	0.05
		39	0.06
		38	0.16
		योग (अ)	2.200
		(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण	
		निरंक	—
		महायोग (अ+ब) =	2.200
(1) भूमि का वर्णन—		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाड़ी माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	
(क) जिला—सीधी		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
(ख) तहसील—सिहावल			
(ग) ग्राम—खडवडा			
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.200 हेक्टेयर.			
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाड़ी माईनर के निर्माण हेतु			
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)		
(अ) निजी भूमि का विवरण			
4	0.09		
5	0.03		
6	0.11		
3	0.04		
7	0.06		
8	0.05		

क्र. 1454-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—सिहावल

(ग) ग्राम—रामनगर कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.05 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया

माईनर की रामनगर कला सब माइनर के निर्माण हेतु

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

#### (अ) निजी भूमि का विवरण

1436 0.05

1356 0.03

1351 0.05

1350 0.02

1349 0.04

1342 0.04

1343/1, 1343/2 0.01

1217 0.01

1216 0.02

1215 0.01

1214 0.03

1213 0.01

1197 0.05

1211 0.07

1186 0.01

1185 0.02

1184 0.04

1183 0.01

1178 0.03

1117 0.01

1021/1

1021/2 0.04

1021/3

1022 0.04

(1)

(2)

1024

0.04

1027

0.01

1035/1, 1035/2

0.04

1041

0.01

1042

0.01

1043

0.01

1044

0.03

1045

0.04

637

0.01

634

0.05

633

0.03

635

0.04

626

0.04

627

0.01

556

0.03

624

0.09

557

0.03

558

0.02

560

0.01

562

0.02

563

0.03

551

0.01

552

0.01

553

0.01

554

0.01

546

0.02

421

0.02

416

0.03

417

0.01

418

0.08

276

0.02

277

0.04

279

0.02

286

0.06

263

0.03

262

0.02

261

0.05

259

0.02

258

0.02

254

0.03

246

0.02

245

0.03

244

0.03

280

0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
281	0.04	520	0.02
284	0.02	521	0.09
285	0.05		योग (अ) . . 0.60
224	0.01		
294	0.03		
295	0.02		
1033	0.02		
	योग (अ) . . 2.05		
	महायोग (अ) . . 2.05		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माईनर की रामनगर कला सब माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

512	0.02
	योग (ब) . . 0.02
	महायोग (अ+ब) . . 0.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाडी माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1456-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—सिहावल  
(ग) ग्राम—बहेरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.62 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाडी माईनर के निर्माण हेतु

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
513	0.39
514	0.04
515	0.03
517	0.03

क्र. 1458-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—सिहावल  
(ग) ग्राम—सहजी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.88 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाडी माईनर के निर्माण हेतु

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
1	0.11
9	0.02
10	0.02
8	0.01
7	0.15

(1)	(2)
5	0.34
4	0.01
3	0.20
85	0.01
68	0.10
67	0.07
71	0.01
72	0.01
73	0.04
74	0.05
75	0.04
77	0.02
76	0.10
132	0.08
133	0.02
136	0.01
122	0.07
121	0.02
117	0.04
118	0.08
116	0.15
113	0.06
112	0.03

योग (अ) . . . 1.87

**(ब) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण**

6 0.01

योग (ब) . . . 0.01

महोयाग (अ+ब) . . . 1.88

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाडी माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. 1501-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगंवा  
(ग) ग्राम—रघुराजगढ़  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.590 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	0.352	0.080
2	0.081	0.050
3	0.299	0.180
9	0.182	0.010
5	2.472	0.170
4	1.439	0.100
	<u>कुल योग</u>	<u>0.590</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1503-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगंवा

(ग) ग्राम—सेमरीखुर्द  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.442 हेक्टे.

(ग) ग्राम—चौरहाई  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.490 हेक्टेयर

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
300	0.930	0.350
301	0.558	0.120
325	0.490	0.110
326	0.966	0.205
327	0.533	0.050
328	0.057	0.057
329	0.425	0.150
330	0.040	0.020
331/1	0.413	
331/2	0.473	0.350
331/3	0.478	
332	0.065	0.030
	कुल योग	1.442

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	0.174	0.060
4	0.991	0.450
5	0.101	0.020
6	0.324	0.050
9	0.279	0.080
16	4.032	0.750
14	0.987	0.590
15	0.109	0.010
18	0.049	0.010
19	0.619	0.180
20	0.535	0.200
21	0.125	0.080
25	0.194	0.010
	कुल योग	2.490

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1505-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

क्र. 1507-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगंवा

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगंवा



(ग) ग्राम—पलिया 352			(1)	(2)	(3)
(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.103 हेक्टेयर			822	0.279	0.120
खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)			
313	0.040	0.040	951	0.093	0.040
312	0.032	0.032	955	0.097	0.097
314	1.462	0.140	956	0.073	0.040
311	0.186	0.090	941	0.057	0.020
310	0.020	0.020	942	0.061	0.061
309	0.070	0.070	932/1	0.480	0.090
288	0.060	0.060	932/2	0.458	
289	1.866	0.280	943	0.089	0.040
305	0.227	0.010	783	0.073	0.040
304	0.206	0.130	302	0.045	0.160
303	0.097	0.020	136	0.352	0.020
321	1.244	0.270	137	0.085	0.020
322	0.081	0.020	138/1	0.644	
324	0.020	0.020	138/2	0.323	0.280
323	0.829	0.270	138/3	0.323	
325	0.449	0.060	139	0.235	0.060
536	1.149	0.350	135	1.921	0.300
537	0.551	0.100	102	0.219	0.070
538	0.101	0.040	101	0.190	0.120
782	0.955	0.280	107/1	0.364	
784	0.489	0.200	107/2	0.365	0.160
787	0.069	0.020	109	0.170	0.170
786	0.105	0.010	113	0.210	0.020
788	0.101	0.050	114	1.036	0.340
785	0.073	0.070	115	0.672	0.150
838	0.239	0.200	116/1	0.264	
835	0.287	0.040	116/2	0.142	0.110
934	3.407	0.550	116/3	0.186	
948	0.135	0.090	116/4	0.242	
947	0.177	0.070	118	0.405	0.020
949	0.244	0.080	131	0.425	0.115
950	0.049	0.040	132	0.105	0.105
			129	0.970	0.280
			127	0.028	0.028
			122	1.566	0.130
			124	0.040	0.040
			140	0.140	0.010

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
126/1	0.113		301	0.263	0.080
126/2	0.113		341/1	0.304	0.100
126/3	0.158	0.110	341/2	0.223	
123/1क	0.219		478/1	0.095	0.180
123/1ख	0.109		478/2	0.095	
123/1ग	0.218	0.020	342	0.097	0.080
123/2	0.110		343	0.138	0.040
125/1	0.381		477	0.040	0.040
125/2	0.382	0.110	476	0.391	0.110
125/3	0.269		475/1	0.292	
			475/2	0.203	0.030
	कुल योग	7.103	474	0.202	0.140
			473	0.368	0.100
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.			468	0.733	0.020
			467/1	0.210	
			467/2	0.276	0.060
			499	0.142	0.100
			500	0.426	0.160
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			497	0.894	0.200
			509/1	0.093	0.060
			509/2	0.089	
क्र. 1509-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—			510/1	0.194	
			510/2	0.170	0.150
			510/3	0.186	
			512	0.542	0.200
			513	0.539	0.130
			511/1	0.008	
			511/2	0.065	0.020
			511/3	0.008	
(1) भूमि का वर्णन—			535	0.182	0.020
(क) जिला—रीवा			536	0.287	0.095
(ख) तहसील—मनगंवा			427	0.271	0.050
(ग) ग्राम—भीर			539	0.077	0.010
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.085 हेक्टेयर			540	0.138	0.070
खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	541/1	0.109	0.075
(1)	(2)	(3)	541/2	0.105	
304	3.812	0.500	542	0.182	0.095
305	1.146	0.040	424	0.315	0.005
299	0.053	0.040			
300	0.470	0.90			
				कुल योग	3.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरो की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.	(1)	(2)	(3)
	241	0.210	0.130
	242	0.299	0.010
	243	0.186	0.020
	240/1	0.029	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	240/2	0.028	0.040
	240/3	0.028	
	239/1	0.081	
	239/2	0.081	0.040
	239/3	0.081	
क्र. 1511-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	236/1	0.117	
	236/2	0.113	0.150
	236/3	0.118	
	235	0.239	0.010
	237	0.624	0.280
अनुसूची	879/1	0.134	
(1) भूमि का वर्णन—	879/2	0.064	0.140
(क) जिला—रीवा	879/3	0.069	
(ख) तहसील—मनगंवा	878	0.259	0.180
(ग) ग्राम—महुआ	873	0.235	0.050
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.715 हेक्टेयर	880	0.105	0.105
खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	
151/1	0.126	0.090	0.060
151/2	0.040		0.060
153/1	0.064	0.070	0.100
153/2	0.065		
154	0.267	0.050	0.010
155/1	0.074		
155/2	0.036	0.040	
155/3	0.036		0.180
150/1	0.879		
150/2	0.813	0.100	
150/3	0.829		
147/1	0.237		0.050
147/2	0.229	0.050	0.080
147/3	0.185		0.020
158	0.030	0.030	0.010
160/1	0.131	0.020	0.200
160/2	0.135		0.279
			0.143
			0.060

(1)	(2)	(3)	वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
950	0.080	0.080	अनुसूची
951	0.174	0.100	
954/1	0.125	0.030	(1) भूमि का वर्णन—
954/2	0.303		
955/1	0.148		(क) जिला—रीवा
955/2	0.149	0.180	(ख) तहसील—सेमरिया
955/3	0.157		(ग) नगर/ग्राम—बबइया पबाई
963/1	0.133		(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.630 हेक्टेयर
963/2	0.133	0.130	
963/3	0.129		खसरा नं.
964/1	0.652		अर्जित रकबा
964/2	0.384	0.130	(हेक्टर में)
964/3	0.109		(1)
964/4	0.013		18
965	1.615	0.200	20
966	0.336	0.080	42
967/1	0.097	0.070	49
967/2	0.259		50
968/1	0.137	0.050	108
968/2	0.064		109
969/1	0.069	0.050	110
969/2	0.093		111
987	0.360	0.060	116
	कुल योग	3.715	117
			118
			123
			124
			125
			138
			139
			140
			239
			241
			242
			249
			250
			251
			253
			254
			424
			507
			508

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 6 जुलाई 2013

क्र. 1529-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

(1)	(2)
509	0.020
510	0.040
515	0.048
517	0.104
530	0.064
531	0.052
537	0.046
538	0.152
539	0.088
541	0.016
555	0.004
556	0.004
557	0.016
558	0.052
560	0.024
561	0.016
580	0.060
581	0.720
657	0.132
योग	3.630

(ग) ग्राम—करहिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.027 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हेक्टर में)

(1) (2)

452 0.027

योग . . 0.027

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1543-प्रका.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा टेल माइनर/सब माइनर नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1539-प्रका.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) ग्राम—विड़वा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.092 हेक्टेयर.  
खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हेक्टर में)

(1) (2)

282/1 0.092

योग . . 0.092

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्र. 1546-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—सिहावल  
(ग) ग्राम—हिनौती  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.48 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
<b>(अ) निजी भूमि का विवरण</b>	
1690/1, 1690/2	0.11
1643	0.01
1687	0.03
1688	0.02
1642	0.03
1683	0.02
1684	0.02
1714	0.02
1636	0.01
1637	0.01
1641	0.05
1638	0.03
1716	0.02
1719	0.02
1717	0.02
1718	0.02
1715	0.02
1721/1, 1721/2	0.02
योग (अ)	0.48

#### (ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक	—
महायोग अ+ब	0.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1556-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—सिहावल  
(ग) ग्राम—अमरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.21 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
----------	-----------------------------

#### (अ) निजी भूमि का विवरण

368	0.01
362	0.04
371	0.02
374	0.05
378	0.01
381	0.02
379/1	0.03
379/2	0.02
योग (अ)	0.20

#### (ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

376	0.01
योग (ब)	0.01
महायोग अ+ब	0.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(ग) ग्राम—राजगढ़ कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.60 हेक्टे.

क्र. 1558-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीयभूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

693	0.05
719	0.03
720	0.01
694	0.13
699	0.03
707	0.01
708	0.05
709	0.03
710	0.01
767	0.06
712	0.01
713	0.01
768	0.01
808/2	0.06
809	0.01
807	0.04
805	0.01
	योग (अ) . . 0.56

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—सिहावल

(ग) ग्राम—वसुली

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.21 हेक्टे.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

501	0.08
503	0.10
504	0.03
	योग (अ) . . 0.21

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक

महायोग अ+ब

0.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1560-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—सिहावल

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

806	0.03
761/1	0.01
	योग (ब) . . 0.04
	महायोग अ+ब . . 0.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1562-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—सिहावल

(ग) ग्राम—हटवा बरहा टोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.660 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

470	0.01
482	0.01
483	0.01
481	0.03
480	0.03
930	0.01
929	0.02
928	0.01
926	0.04
925	0.01
1015	0.01
1011	0.03
1013	0.04
1016	0.02
866	0.02
865	0.03
864	0.01
868	0.02
893	0.01
892	0.07
880	0.02
881	0.02
882	0.01
883	0.03
844	0.03
885	0.02
1206	0.03
1207	0.01
1209	0.01
1210	0.02

(1)

1211

1212

1213

1202

1216

1200

1218

1199

1221

1222

1223

1224

1230

1228

1233

1239

1237

1235

1236

1342

1341

1343

1346

1347

1348

1338

1337

1336

1335

1331

1276

1317

1316

1307

1306

1305

योग (अ) . . . 1.620

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

832

887

1219

योग (ब)

महायोग अ+ब

(2)

0.05

0.03

0.02

0.05

0.01

0.02

0.02

0.01

0.03

0.03

0.05

0.06

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.01

0.03

0.06

0.01

0.01

0.04

0.02

0.03

0.03

0.01

0.03

0.02

0.06

0.01

0.02

0.02

0.01

0.02

0.01

1.620

0.01

0.02

0.01

0.04

1.660



(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर की हटवा माईनर की हटवा टेल माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 9 जुलाई 2013

प. क्र. 1580-प्रका.-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—त्योंथर  
(ग) ग्राम—सोनवर्षा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.166 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
9	0.090
15	0.132
18	0.048
20	0.012
40	0.061
41	0.108
42	0.192
43	0.090
51	0.016
52	0.014
53	0.108
54	0.054
62	0.042
76	0.036
76/236	0.054
80	0.048

(1)	(2)
81	0.036
शासकीय	0.025
कुल योग . .	1.166

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माईनर नहर नं. 12 का निर्माण कार्य” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 1582-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—त्योंथर  
(ग) ग्राम—डीह  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.052 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1655	0.007
1684	0.045
योग . .	0.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 1584-प्रका.-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—त्योथर  
(ग) ग्राम—खाम्हा कोठार  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.410 हे.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
46	0.156
47	0.090
83	0.045
84	0.086
86	0.012
89	0.024
90	0.090
91	0.042
101	0.024
102	0.024
103	0.090
131	0.018
133	0.084
136	0.066
137	0.137
150	0.016
151	0.066
153	0.052
154	0.108
157	0.180
योग . .	<u>1.410</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर नं. 12 का निर्माण कार्य” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1589-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—कोटर  
(ग) ग्राम—गजगवां  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.671 हे.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
271	0.086
272	0.014
310	0.120
311	0.032
312	0.151
313	0.069
327	0.113
328	0.010
329	0.041
330	0.012
331	0.101
332	0.072
333	0.036
476	0.106
474	0.480
477	0.077
467	0.002
596	0.035
593	0.096
598	0.010
587	0.060
586	0.007
607	0.187
608	0.007
575	0.067
661	0.145
671	0.283
88	0.050
89	0.010
71	0.192
योग . .	<u>2.671</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पाथंडा वितरक नहर की माइनरों के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.	(1)	(2)
	375	0.018
	374	0.062
	385	0.106
	384	0.161
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	397	0.055
	395	0.108
	396	0.007
	394	0.110
		<u>योग . . . 2.070</u>

क्र. 1591-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—कोटर  
(ग) ग्राम—गढ़वाकला  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.070 हे.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
58	0.163
59	0.086
60	0.012
61	0.139
580	0.036
70	0.038
639	0.005
63	0.130
578	0.088
560	0.067
559	0.057
558	0.052
557	0.054
540	0.043
543	0.053
546	0.006
547	0.069
662	0.091
649	0.211
377	0.034
376	0.017

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पाथंडा वितरक नहर की माइनरों के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1593-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—कोटर  
(ग) ग्राम—बरदाडीह  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.439 हे.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
322	0.139
323	0.010
325	0.144
287	0.192
286	0.005
624	0.108
283	0.043
132	0.038
288	0.007
129	0.091

(1)	(2)
130	0.062
68	0.113
120	0.024
118	0.010
115	0.077
109	0.054
108	0.043
106	0.012
157	0.088
166	0.024
164	0.028
165	0.106
158	0.019
110	0.002
योग . .	<u>1.439</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पाथंडा वितरक नहर की माइनरों के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1613-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) नगर/ग्राम—रजरवार पैपखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.395 हेक्टर
- |          |                   |
|----------|-------------------|
| खसरा नं. | रकबा<br>(हे. में) |
| (1)      | (2)               |
| 208      | 0.101             |
| 209      | 0.246             |
| 531      | 0.048             |
| योग . .  | <u>0.395</u>      |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की कोटर माइनर नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1615-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराज नगर
- (ग) नगर/ग्राम—कोटरा कोठार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.564 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
121	0.176
122	0.156
123	0.212
108	0.020
योग . .	<u>0.564</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1617-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(क) जिला—सतना	
(ख) तहसील—रघुराज नगर	
(ग) नगर/ग्राम—सेमरा	
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.846 हेक्टर.	
266	0.086
267	0.072
268	0.092
265	0.004
259	0.072
258	0.204
257	0.108
256	0.052
389	0.016
388	0.140
योग . .	<u>0.846</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना, पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1619-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर

(ग) नगर/ग्राम—मेंहुती

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.108 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
3104	0.132
3137	0.220
3136	0.016
3138	0.088
3135	0.004
3128	0.016
3140	0.128
3124	0.016
3123	0.032
3117	0.328
3120	0.004
3118	0.088
3119	0.036
योग . .	<u>1.108</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना, पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1621-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना	
(ख) तहसील—कोटर	
(ग) नगर/ग्राम—अबेर कोठार	
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.474 हेक्टर.	
खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1309/2	0.083
333	0.090

(1)	(2)	(1)	(2)
		1320/2/2	0.024
2500	0.024	1092	0.128
1642	0.090	1312/2	0.076
332	0.075	930	0.158
349	0.012	3521/1	0.036
1643/2	0.081	3521/2	0.036
1099	0.088	3036	0.060
1896	0.076	3037	0.064
1652/1	0.028	3614	0.048
1309	0.040	1316/2ख	0.030
3547	0.032	1128/2क/1	0.032
1628/1	0.048	योग . .	<u>3.474</u>
1628/2	0.048		
1122	0.036	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर	
2489	0.024	परियोजना की पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और	
1637/3	0.028	उप शाखा नहरों के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय	
1943	0.024	भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.	
2536	0.012		
1643/2	0.109	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर	
1643/3	0.041	परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
2488	0.052		
1126/3662/1	0.292	क्र. 1623-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात	
1284/1	0.036	का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में	
3414	0.032	वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक	
441	0.048	प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894	
1943/1	0.028	(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह	
1643/1क	0.045	घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के	
1311/2	0.060	अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
1312/2	0.060		
1128/2क/1	0.032	अनुसूची	
552	0.081	(1) भूमि का वर्णन—	
2500	0.020	(क) जिला—सतना	
3600	0.060	(ख) तहसील—रघुराज नगर	
3603/1	0.032	(ग) नगर/ग्राम—कुंआ कोठार	
3418/1	0.100	(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.114 हेक्टर.	
3546	0.040	खसरा नं.	रकबा
1307/2	0.185		(हे. में)
1624	0.180	(1)	(2)
1316/2क	0.030	643/1	0.080
1316/3	0.061	643/4	0.032
929	0.095	646	0.032
3604/2/2	0.028	642	0.052
3417	0.024	662	0.042
1285	0.024	663	0.092
3747	0.048	601	0.042

(1)	(2)	(1)	(2)
1604	0.042	17	0.240
1610	0.044	15	0.080
690	0.288	14	0.088
678	0.100	31	0.440
679	0.012	30	0.036
677	0.052	82	0.048
689	0.008	80	0.052
682	0.144	79	0.036
676	0.052	83	0.140
योग . . .	<u>1.114</u>	167	0.020
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर की सब-माइनर नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.		160	0.044
		159	0.036
		118	0.156
		117	0.016
		120	0.060
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		121	0.120
		108	0.006
		109	0.002
		122	0.028
क्र. 1625-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		115	0.128
		123	0.008
		114	0.084
		322	0.290
		368	0.160
		327	0.496
		366	0.068
		365	0.022
		350	0.068
(1) भूमि का वर्णन—		349	0.064
(क) जिला—सतना		348	0.034
(ख) तहसील—रघुराज नगर		353	0.018
(ग) नगर/ग्राम—डगडीहा कोठार		347	0.028
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.280 हेक्टर.		346	0.040
खसरा नं.	रकबा	412	0.020
	(हे. में)	415	0.012
(1)	(2)	434	0.120
816	0.016	435	0.022
883	0.024	1004	0.040
817	0.052	1005	0.064
822	0.216	438	0.120
821	0.016	437	0.022
6	0.024	430	0.026
5	0.088	429	0.022
3	0.236	439	0.028
4	0.096		

(1)	(2)
440	0.120
545	0.052
446	0.036
444	0.024
540	0.036
539	0.028
542	0.028
531	0.104
528	0.028
527	0.032
520	0.028
506	0.036
507	0.040
818	0.036
502	0.036
518	0.120
519	0.016
	योग . . . 5.280

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर नहर की सब-माइनर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 10 जुलाई 2013

प. क्र. 1638-प्रका.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान  
(ग) नगर/ग्राम—सिजहटा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.498 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1033/1, 1033/2	0.084
1034/2	0.081
1039	0.010

(1)	(2)
1040	0.210
1041/2, 1041/2	0.003
	योग . . . 0.388
शासकीय भूमियां—	
1034/1	0.081
1035	0.029
	योग . . . 0.110
	महायोग . . . 0.498

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
- (3) बाणसागर परियोजना, पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1640-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ़  
(ग) ग्राम—हरदी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.030 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1099/1	0.030
	योग . . . 0.030

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना, बांध के अंतर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण में आने वाले निजी भूमि/शासकीय भूमि के सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बी. बी. श्रीवास्तव**, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		(1)	(2)
धार, दिनांक 22 जुलाई 2013		150/1	0.380
		150/2	1.775
		151	0.312
क्र. 16-अ-82-2013-14-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन		152	1.943
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के		269/1/1	3.167
पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित		271/1/2	0.723
भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः		271/1/2	0.090
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6		271/2	0.422
के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की		271/3/2	0.114
उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		271/5	0.283
अनुसूची		272/1	1.098
(1) भूमि का वर्णन—		272/2	1.453
(क) जिला—धार		272/3/1	1.045
(ख) तहसील—मनावर		272/3/2	0.408
(ग) ग्राम—टोंकी		272/4	1.453
(घ) लगभग क्षेत्रफल—60.413 हेक्टर.		272/5	1.453
खसरा	रकबा	274/1	0.090
नंबर	(हेक्टर में)	274/2	0.322
(1)	(2)	275	0.624
132/1	0.600	275	0.060
133/1/4	2.063	277	3.432
133/3/1	0.466	279	0.628
133/3/2	0.101	280/1/1/1/1/3	1.720
134	0.344	280/1/1/1/1/5/1	5.070
135	0.080	280/1/1/1/1/5/2	1.000
136	0.194	280/1/1/4	0.097
137/1/1/1	3.642	280/1/2/1	3.302
137/1/1/2	0.194	281	0.364
137/1/1/3	0.032	282/2	0.020
137/1/1/4	0.603	283	0.867
137/1/2	0.764	285/1	1.978
137/1/3	0.218	285/2	1.701
137/1/5	0.162	286	3.538
137/1/6	0.162	287	0.914
138	0.170	288	1.858
139	0.105	289	2.808
140/1	0.700	290	0.093
140/2	1.316		
146/1	1.660		
			योग : 60.413

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र, पावर प्लांट एवं आवासीय परिसर स्थापित करने हेतु.	(1)	(2)
	201/2/1	0.162
	201/2/2	0.182
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.	203, 204	0.242
	205, 206	0.197
	208/1, 209/1, 209/2/1	0.883
	217/1/2	0.013
क्र. 17-अ-82-2013-14-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	219/1/1/1क	1.563
	219/1/1/1ख	1.563
	219/1/1/2	4.072
	219/1/1/3	2.948
	219/1/1/3	0.315
	220	1.214
	221	1.114
	221	0.270

योग : 17.947

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—टेमरनी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.947 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
18/1, 18/2, 19/1, 19/2	0.180
82/1	0.110
83/2	0.090
92/1/1	0.105
92/1/2	0.168
92/1/3	0.088
92/5/2	0.081
92/5/3	0.101
92/2	0.105
92/4	0.125
93/1/1	0.379
96/1	0.101
97/1	0.220
97/2	0.225
170/2/2	0.097
170/2/3	0.222
171/1/1	0.091
171/2	0.121
171/3	0.191
172/4/5	0.081
201/1/2	0.328

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 18-अ-82-2013-14-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—सोन्डूल  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.119 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/1/1/2	0.209
1/1/2	0.494
1/1/3	0.178
1/1/4	0.089

(1)	(2)
1/1/5	0.049
1/1/7	0.081
1/1/8	0.146
15/2	0.510
15/3	0.283
15/4	0.040
15/5	0.040

योग : 2.119

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र, पावर प्लांट एवं आवासीय परिसर स्थापित करने हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 19-अ-82-2013-14-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—गोलपुरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.518 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नंबर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
237/1/1	0.259
237/1/2	0.259

योग : 0.518

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र, पावर प्लांट एवं आवासीय परिसर स्थापित करने हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 20-अ-82-2013-14-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—देवरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.987 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नंबर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
125	0.379
130, 131	0.379
142/2	0.126
142/3	0.171
144/1/1, 145/1	0.065
144/1/3, 145/3	0.048
144/1/2, 145/2	0.052
147/1, 147/2	0.150
148	0.126
175/1, 176/1	0.129
178/1	0.126
181/1/4	0.101
181/1/3, 181/1/5	0.081
189/1/17	0.010
194/1/2	0.345
195/1	0.053
195/2	0.192
196/1	0.052
196/2	0.149
197/1	0.253

योग : 2.987

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.	(1)	(2)
	166	0.356
	49/2	0.202

क्र. 21-अ-82-2013-14-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	181/2/2, 183	0.267
	191/1	0.137
	191/3, 196/2	0.283
	192/1/1/1	0.060
	192/1/3/2	0.052
	192/1/2/2	0.012
	192/1/1/3	0.012
	192/1/3/3	0.068
	192/1/1/2	0.113

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार	192/1/3/4	0.093
(ख) तहसील—मनावर	192/1/3/1	0.048
(ग) ग्राम—मुहाली	182/2/4	0.125
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.588 हेक्टर.	38/2	0.068

योग : 4.588

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/2/1	0.040
44	0.282
3/1/1/1	0.113
3/1/2/1	0.194
3/1/2/2	0.133
23/1/1/1	0.013
23/1/2, 23/2	0.202
56/1	0.081
27/3	0.545
27/246/1	0.140
28/1	0.161
49/1	0.162
28/2	0.263
41/2/2, 45	0.174
37/1/1/2	0.048
37/1/1/1/3	0.121
38/1	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 22-अ-82-2013-14-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—मोराड

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.502 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
265/6	0.046
265/19	0.076
211/3/1, 212/1	0.074
211/1/4	0.068
211/4/3, 212/4	0.097
211/2/2	0.040
220/1	0.126
220/2	0.283
222	0.218
223/1	0.129
250/2	0.099
264/2, 265/7	0.085
265/12	0.016
265/17	0.068
265/10, 265/11	0.012
251	0.111
250/1	0.130
248/1/1, 248/3	0.210
248/2	0.101
221/1	0.026
221/2	0.145
248/1/2	0.026
265/9	0.060
264/3	0.131
265/5	0.125

योग : 2.502

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 23-अ-82-2013-14-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—सीतापुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.362 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
164	0.362

योग : 0.362

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

## सूचना

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2013

क्र. एफ-1-34-2008-सात-शा.6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, नवीन तहसील पिपरई, जिला अशोकनगर सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील मुंगावली एवं चन्देरी, जिला अशोकनगर की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

(2) “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:—

## अनुसूची

क्र.	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पिपरई	पिपरई	मुंगावली एवं चन्देरी.	वर्तमान तहसील मुंगावली के रा.नि.मं. वृत्त-1 अथाईखेड़ा के प.ह.नं. 1 से 7 तक एवं 19 से 22 तक कुल 11 एवं रा.नि.मं. वृत्त-2 पिपरई के प.ह.नं. 23 से 27 तक एवं 34 से 37 तक कुल 9, पटवारी हल्के तहसील चन्देरी के रा.नि.मं. वृत्त-2 थूबौन के प.ह.नं. 22 से 37 तक कुल प.ह.नं. 16 एवं रा.नि.मं. वृत्त-3 विक्रमपुर के प.ह.नं. 38, इस प्रकार कुल 37 पटवारी हल्के जिनमें कुल ग्राम 98 हैं नवीन प्रस्तावित तहसील पिपरई में सम्मिलित होंगे.	पूर्व में—तहसील मुंगावली पश्चिम में—तहसील अशोकनगर उत्तर में—तहसील चन्देरी एवं ईसागढ़ दक्षिण में—तहसील सिरोंज.
2	शेष तहसील मुंगावली.	मुंगावली	मुंगावली	वर्तमान तहसील मुंगावली के रा.नि.मं. वृत्त-1 अथाईखेड़ा के प.ह.नं. 1 से 7 तक एवं 19 से 22 तक कुल 11 एवं रा.नि.मं. वृत्त-2 पिपरई के प.ह.नं. 23 से 27 तक एवं 34 से 37 तक कुल 9, इस प्रकार कुल 20 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर कुल 72 पटवारी हल्के जिनमें कुल ग्राम 200 हैं, शेष रहेंगे.	पूर्व में—राज्य उत्तर प्रदेश एवं तहसील बीना. पश्चिम में—प्रस्तावित तहसील पिपरई एवं तहसील सिरोंज. उत्तर में—तहसील चन्देरी दक्षिण में—तहसील कुरवाई.
3	शेष तहसील चन्देरी.	चन्देरी	चन्देरी	वर्तमान तहसील चन्देरी के रा.नि.मं. वृत्त-2 थूबौन के प.ह.नं. 22 से 37 तक कुल 16 एवं रा.नि.मं. विक्रमपुर के प.ह.नं. 38 इस प्रकार कुल 17 प.ह. अपवर्जित होकर कुल 40 पटवारी हल्के जिनमें 121 ग्राम हैं, शेष रहेंगे.	पूर्व में—तहसील ललितपुर राज्य उत्तर प्रदेश पश्चिम में—तहसील ईसागढ़ उत्तर में—तहसील खनियाधाना दक्षिण में—तहसील मुंगावली.

(3) प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.